National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 10-02-2025, Accepted: 11-03-2025, Published: 27-03-2025
Volume 10, Issue 1, 2025, Page No. 74-76

किशोर न्याय प्रणाली को समझना: सुधार के रुझान, स्थितियाँ और दिशाएँ

विजय कुमार वर्मा[1], प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह[2]
[1] रिसर्च स्कॉलर, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, टी.एम.यू., मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] प्राचार्य, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, टी.एम.यू., मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
यह शोधपत्र किशोर न्याय प्रणाली की जटिल संरचना और समय के साथ इसमें आए बदलावों का विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक रूप से सुधारात्मक, यह प्रणाली अब अधिकाधिक दंडात्मक होती जा रही है, जैसा कि बढ़ती कारावास दरों, वयस्क न्यायालयों में स्थानांतरण और कम होते कानूनी संरक्षणों में देखा जा सकता है। सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी चुनौतियाँ इसकी अक्षमता को उजागर करती हैं। यह अध्ययन पुनर्स्थापनात्मक न्याय, विपथन कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपायों के माध्यम से एक अधिक न्यायसंगत, पुनर्वासात्मक और मानवतावादी प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

मूल शब्दः किशोर अपराध, किशोर न्याय सुधार, पुनर्वास, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, किशोर कारावास

प्रस्तावना
मानव समाज ने हमेशा सामाजिक मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रणालियाँ विकसित की हैं। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विचलित व्यवहार से दंडात्मक और आपराधिक न्याय प्रणालियाँ निपटती हैं। अमेरिकी न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे पुरानी और जटिल न्याय व्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें किशोर न्याय व्यवस्था की अहम भूमिका है। यह व्यवस्था बच्चों के अधिकारों और व्यवहार से सीधे जुड़ी हुई है। हाल के वर्षों में इसमें कई बदलाव हुए हैंकृकुछ लाभकारी, कुछ समस्याजनक। कानून किशोरों के साथ वयस्कों से अलग व्यवहार करता है, लेकिन गंभीर अपराधों में उन्हें वयस्क न्यायालयों में भेज दिया जाता है। इससे उनके पुनर्वास की प्रक्रिया में बाधा आती है और उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। ऐसे बदलावों का किशोरों के भविष्य और समाज में उनके पुनः समायोजन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

किशोर न्याय प्रणाली का ऐतिहासिक अवलोकन
किशोर न्याय प्रणाली की शुरुआत एक सुरक्षात्मक और सुधारात्मक दृष्टिकोण से हुई थी, जिसमें किशोरों को मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले "आश्रित बच्चे" के रूप में देखा जाता था। शुरुआती कानूनों का उद्देश्य बच्चों को दंडित करने के बजाय उनकी मदद करना था। हालाँकि, 1970 के दशक के अंत तक यह दृष्टिकोण बदलने लगा। "खतरनाक किशोर" की अवधारणा ने सुधारात्मक नीतियों के बजाय दंडात्मक नीतियों को जन्म दिया। हत्या, डकैती और नशीली दवाओं के मामलों ने मीडिया और समाज में भय पैदा किया, जिसके परिणामस्वरूप कठोर दंड, वयस्क न्यायालयों में स्थानांतरण और कारावास की सजाएँ हुईं।

1. नई नीतियों में शामिल थे:
2. शून्य सहनशीलता नीतियाँ,
3. अनिवार्य न्यूनतम सजाएँ,
4. बूट कैंप,
5. तीन स्ट्राइक कानून,
6. और किशोरों को वयस्क जेलों में कैद करना।

इन सभी ने किशोर न्याय की सुधारात्मक प्रकृति को दंडात्मक प्रकृति में बदल दिया।

किशोर न्याय प्रणाली का विधिक ढाँचा
अमेरिका में, किशोर अपराधों से निपटने के लिए अदालतों, पुलिस, सुधार गृहों और अन्य एजेंसियों की एक जटिल व्यवस्था विकसित हुई है। किशोरों के लिए विशेष अदालतें, हिरासत केंद्र और पर्यवेक्षण प्रणालियाँ हैं जहाँ उनकी निजता और विकासात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स और फिलाडेल्फिया जैसे महानगरीय क्षेत्रों में हज़ारों किशोरों की गिरफ़्तारियों के आँकड़े बताते हैं कि यह व्यवस्था बेहद व्यापक और समस्याग्रस्त है।
हाल के वर्षों में कई विधायी सुधार हुए हैं, जैसे:

1. 18 साल से कम उम्र के किशोरों को वयस्क जेलों में न रखना,
2. अदालत में बच्चों को हथकड़ी लगाने पर प्रतिबंध,
3. और अहिंसक अपराधों के लिए ध्यान भटकाने और सुधारात्मक कार्यक्रम।

हालाँकि, कुछ नीतियों को कठोर माना जाता है, जैसे कि एडम वॉल्श अधिनियम, जो बच्चों को भी आजीवन यौन अपराधी घोषित कर सकता है।

कानून प्रवर्तन में भिन्नताएँ स्पष्ट हैं – गिरफ़्तारी से लेकर सज़ा तक, राज्यों और क्षेत्रों में असमानताएँ हैं। पुलिस की मनमानी अक्सर नस्लीय भेदभाव का कारण बनती है, जहाँ अश्वेत किशोरों को श्वेत किशोरों की तुलना में ज़्यादा सज़ा और पुनर्वास के कम विकल्प मिलते हैं।
"मार्शलिंग प्रक्रिया" पुलिस विभागों को संसाधनों का प्रबंधन करने की अनुमति देती है, लेकिन निर्णय पक्षपातपूर्ण होते हैं। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।

प्रणाली में जनसांख्यिकीय असमानताएँ
यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में किशोरों की गिरफ्तारी की दर में कमी आई है, फिर भी बड़ी संख्या में किशोर अभी भी जेल में हैं। किशोरों के लिए कारावास का अनुभव वयस्कों की तुलना में भिन्न और अक्सर अधिक गंभीर होता है। यह असमानता जातीयता, नस्ल और सामाजिक स्थिति के कारण और भी बढ़

जाती है। अभियोजन की गुणवत्ता, सेवाओं की उपलब्धता और संसाधनों की कमी न्याय की प्रकृति को प्रभावित करती है।

नस्लीय असमानताएँ स्पष्ट हैं — अश्वेत और अन्य अल्पसंख्यक किशोरों के साथ अधिक कठोर व्यवहार किया जाता है। क्षेत्रीय अंतर भी परिणामों को प्रभावित करते हैं।

जोखिम कारक चार श्रेणियों में आते हैं

1. व्यक्तिगत (आयु, अपराध का प्रकार),
2. पारिवारिक (निगरानी का अभाव, गरीबी),
3. समुदाय (आपराधिक वातावरण),
4. संरचनात्मक नस्लीय परिस्थितियाँ।

किशोरों के विकास और अपराध की रोकथाम में परिवार और समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमज़ोर पारिवारिक संरचना, दुर्व्यवहार और संसाधनों की कमी आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाती है। सुधार प्रक्रिया की सफलता के लिए परिवार की भागीदारी आवश्यक है। माता–पिता की भागीदारी विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब वे स्वयं जेल में हों। अभिभावक–प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहानुभूतिपूर्ण निगरानी और सकारात्मक पारिवारिक संबंध किशोरों में असामाजिक व्यवहार को रोक सकते हैं। सकारात्मक पालन–पोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, समुदाय–आधारित सेवाएँ और परिवारों को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना आवश्यक है। यदि आप चाहें तो अगले भाग का सारांश भी दिया जा सकता है या मैं अब तक के सभी सारांशित भागों को एक वर्ड दस्तावेज़ में समेकित कर दूँगा। मुझे बताएँ कि आगे कैसे बढ़ना है।

मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों की समस्या

किशोर न्याय प्रणाली में मानसिक विकारों से ग्रस्त किशोरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। ये किशोर अक्सर गरीबी, उपेक्षा, हिंसा और माता–पिता की मृत्यु जैसी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, जिससे मनोदशा संबंधी विकार, चिंता, व्यवहार नियंत्रण संबंधी समस्याएँ और PTSD जैसी मानसिक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। गिरफ्तार होने या न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर पड़ता है। अक्सर उनके व्यवहार को गलत समझा जाता है, जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही होती है, भले ही वे किसी गंभीर अपराध में शामिल न हों। न्याय प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं – जैसे प्रशिक्षित कर्मचारी, उपचार केंद्र, केस प्रबंधन और व्यसन निवारण केंद्र – का भारी अभाव है, जिससे इन किशोरों को सहायता मिलना मुश्किल हो जाता है।

कारावास की स्थिति

पिछले तीन दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका में किशोर निरोध प्रणाली में कई बदलाव हुए हैं। 1990 के दशक की "सुपर प्रीडेटर" अवधारणा से लेकर आज तक, सुधार प्रयासों ने कारावास दरों में 50: से भी अधिक की कमी की है। कई निरोध केंद्र बंद कर दिए गए हैं और हज़ारों किशोरों को अन्यत्र भेजा गया है या रिहा किया गया है (फ़गन, 2010)। हालाँकि, विभिन्न राज्यों में नीतियों में व्यापक अंतर है और कई संस्थानों का डिज़ाइन या संचालन सार्वजनिक चर्चा से गायब रहा है। किशोरों की भलाई, मानसिक स्वास्थ्य और विकासात्मक ज़रूरतों को अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है।

शारीरिक स्थिति भी चिंता का विषय है। किशोरों को वयस्कों से अलग, प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा संचालित स्थानीय केंद्रों में रखा जाना चाहिए। इन केंद्रों में स्कूल जैसा वातावरण होना चाहिए, सुरक्षित और गोपनीय होना चाहिए।

आवासीय केंद्रों में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो

1. कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक उन्नति को सुगम बनाएँ,
2. पारिवारिक संबंधों को मज़बूत बनाएँ,
3. सामाजिक हिंसा को कम करने में मदद करें,
4. और आवश्यकतानुसार पुनर्वास के वैकल्पिक मार्ग प्रदान करें।

वैकल्पिक उपायों की आवश्यकता

वर्तमान संस्थानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, समुदाय–आधारित विकल्प विकसित करना आवश्यक है। इन विकल्पों में उपयुक्त संरचनाएँ, देखभाल और हस्तक्षेपात्मक दृष्टिकोण भी शामिल होने चाहिए। यदि ऐसे विकल्प तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रभावी हस्तक्षेप वर्षों तक संभव नहीं हो सकते हैं। किशोर का परिवार और समुदाय उसकी पुनर्वास योजना की प्रारंभिक इकाई होनी चाहिए (फगन, 2010)। प्रवेश प्रक्रिया और आवासीय पृथक्करण भी किशोर–अनुकूल वातावरण में होना चाहिए, न कि जेल जैसे संस्थानों में। प्रवेश प्रक्रिया जेलों या जेल जैसे स्थानों में नहीं होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार, प्रवेश और आवासीय पृथक्करण की व्यवस्था मूल अपराध स्थल से दूर किसी स्थान पर तब तक की जानी चाहिए जब तक कि आवश्यकता की उचित पहचान और समाधान न हो जाए। शैक्षिक और प्रेरक कार्यक्रम–किशोर निरोध समय और उद्देश्य दोनों में सीमित होना चाहिए। यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, तो शैक्षिक कार्यक्रम शिविर जैसे वातावरण में आयोजित किए जा सकते हैं। वर्तमान संस्थानों में प्रेरक कार्यक्रमों और संरचना के अभाव के कारण कई किशोर सफल नहीं हो पाते हैं।

किशोर न्याय प्रणाली पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव

किशोर न्याय नीति में तकनीक को अक्सर तटस्थ माना जाता है, लेकिन अब यह निगरानी और दंड का एक साधन बन गई है। कैमरे, ट्रैकिंग उपकरण और आभासी कानूनी प्रक्रियाएँ किशोरों के अनुभवों को और अधिक नियंत्रित बना रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (ईएम) जैसे उपकरण न्यायिक विवेकाधिकार को सीमित करते हैं और स्वचालित निर्णयों पर निर्भरता बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्तिगत न्याय कमज़ोर होता है। उपचार केंद्रों में निगरानी तकनीकें पुनर्वास के बजाय नियंत्रण का एक साधन बन गई हैं। किशोरों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। "स्मार्ट न्याय" जैसी प्रणालियाँ अक्सर वयस्क न्यायालयों पर आधारित होती हैं, जिससे किशोर न्याय के विशिष्ट संदर्भ की उपेक्षा हो जाती है। इसलिए, तकनीकी हस्तक्षेपों के प्रभाव को समझने के लिए किशोरों के अनुभवों को केंद्र में रखना आवश्यक है, न कि केवल डेटा या उपकरणों को।

किशोर न्याय पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ और संधियाँ, विशेष रूप से बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी), किशोर न्याय सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके लिए राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी न्याय प्रणाली अपनाएँ जो बाल अधिकारों, उचित प्रक्रिया और पुनर्वास को प्राथमिकता दे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आदर्श कानून किशोर न्यायालयों, पुलिस व्यवहार और कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए 45 मानकों का सुझाव देता है जिन्हें देश अपने कानूनों में शामिल कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक न केवल दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि देशों को सुधार के लिए प्रेरित भी करते हैं। सरकारी छवि, मीडिया का दबाव और अंतर्राष्ट्रीय सद्गुणों की होड़ अक्सर बिना किसी दबाव के सुधार की ओर ले जाती है। गैर–सरकारी संगठन और

निजी संस्थान भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कार्यान्वयन में शिक्षा और सहायता प्रदान करते हैं।

सुधार की भविष्य दिशा

किशोर न्याय प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें इसकी वर्तमान स्थिति, प्रवृत्तियों और व्यावहारिक समस्याओं के विश्लेषण पर आधारित हैं।

मुख्य सिफारिशे

1. पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए मानकीकृत डेटा संग्रह और सार्वजनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. मूल्यांकन करें कि क्या किशोरों को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व, निष्पक्ष सुनवाई और विकासोन्मुखी न्यायिक दृ ष्टिकोण मिल रहा है।
3. हिरासत को अंतिम उपाय के रूप में माना जाना चाहिए, और डायवर्जन, गृह पुनर्वास और निपटान–पूर्व मूल्यांकन जैसे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए।
4. सामाजिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए, समुदाय–आधारित हस्तक्षेप विकसित किए जाने चाहिए जो जोखिमग्रस्त किशोरों को हिंसा से दूर रख सकें।

सुधार की चुनौतियाँ

1. बजटीय बाधाएँ, संसाधनों की कमी और राजनीतिक प्रतिरोध।
2. कई राज्यों में समुदायों में निवेश करने और जेलों के विकल्पों को बढ़ावा देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।
3. सुधार के समर्थकों को यह दिखाना होगा कि ये बदलाव सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभकारी हैं।

प्रभाव मूल्यांकन और केस स्टडीज़

1. सुधारों की सफलता स्थानीय परिस्थितियों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संसाधनों पर निर्भर करती हैकृन कि केवल मॉडलों या नीतियों पर।
2. वैश्विक सिद्धांतों के बजाय स्थानीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था का पुनर्गठन आवश्यक है।

मूल निष्कर्ष

1. किशोर अपराध सामाजिक असमानताओं का परिणाम है, और न्याय प्रणाली को आधा आपराधिक और आधा कल्याणकारी प्रणाली के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
2. किशोरों के कल्याण को केंद्र में रखने के लिए सुधारों का मूल्यांकन बहुस्तरीय और आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए।

निष्कर्ष

पिछले 150 वर्षों में किशोर न्याय प्रणाली में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़े बदलाव अचानक और बड़े पैमाने पर हुए हैं, जैसे बच्चों को पारिवारिक अदालतों से हटाकर आपराधिक अदालतों में भेजना। शुरुआत में, बच्चों को निर्दोष और संरक्षण योग्य माना जाता था, और न्याय प्रणाली ने उनमें सुधार लाने का प्रयास किया। लेकिन समय के साथ, समाज किशोरों, खासकर अल्पसंख्यक किशोरों को, एक खतरे के रूप में देखने लगा। कानून सख्त होते गए, पुलिस और विधायिका ने सामाजिक सेवा एजेंसियों पर नियंत्रण कर लिया। मीडिया में अश्वेत किशोरों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। न्यायाधीशों को अब सुधारक के बजाय सामाजिक व्यवस्था के रक्षक के रूप में देखा जाने लगा। सुधार गृहों में सेवाएँ कम कर दी गईं, कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई, और बच्चों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। किशोर सुधार गृहों का उद्देश्य दमन और नियंत्रण में बदल गया।

संदर्भ सूची

1. डन, सी. (2008)। हमारे युवाओं को अपराधियों के रूप में जीवन बिताने के लिए बाध्य करना: बच्चों को वयस्कों की तरह कारावास में डालना। पीडीएफ,
2. स्कॉट, एस. ई. और ग्रिसो, टी. (1997)। किशोरावस्था का विकास: किशोर न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक विकासात्मक दृष्टिकोण। पीडीएफ,
3. सोबी, एम. (2018)। अमेरिकी किशोर न्याय प्रणाली की स्थिति। पीडीएफ,
4. रसेल, टी. एस., वुड, एस., और डोमेयर, एस. (1998)। आपके समुदाय में किशोर विचलन कार्यक्रम स्थापित करना (G98–1366)। पीडीएफ,
5. मैककिनी, के. (2014)। जीवन के बारे में सब कुछरू कोलोराडो किशोर विचलन कार्यक्रम में सबसे प्रभावी हस्तक्षेपों का विश्लेषण। पीडीएफ,
6. ब्लैंकली, एम. के. और काल्डवेल जिमेनेज़, ए. (2019)। नेब्रास्का में किशोर अपराधियों के लिए पुनर्स्थापनात्मक न्याय। पीडीएफ,
7. काल्मबैक, सी. के. और लायन्स, एम. पी. (2012)। प्रथम बार अपराध करने वाले किशोरों की न्यायालयीय निर्णयों के भविष्यवक्ता कारक। पीडीएफ,
8. राइली, जे. (2012)। अपराध प्रवृत्ति के जोखिम और संरक्षक कारकरू किशोरों के साथ कार्यरत पेशेवरों के दृष्टिकोण। पीडीएफ,
9. फेगन, जे. (2010)। किशोर अपराध और दंड की विरोधाभासी स्थितियाँ। पीडीएफ,
10. फ्रिडेल, एल. और वेब, वी. जे. (1987)। नेब्रास्का की जेलों और लॉकअप्स में किशोरों का निरोध। पीडीएफ,
11. कोस्टर, एल. (2019)। कौन मुझे शिक्षा देगा? विकलांग किशोर कैदियों की शैक्षणिक पहुँच सुधारने हेतु अमेरिकन्स विथ डिसएबिलिटीज़ एक्ट का उपयोग। पीडीएफ,
12. लुकास, एम. और जूलिया, एस. एन. (2001)। किशोर न्याय समीक्षा 1999–2000। पीडीएफ,
13. बेरी, आर. सी. (1987)। कैलिफोर्निया के किशोर को जूरी ट्रायल का अधिकाररू अब इस पर विचार करने का समय आ चुका है। पीडीएफ